



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली- 110 002

विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय-उद्योग अंतः संबद्ध केन्द्र स्थापित करने के लिए यूजीसी दिशा-निर्देश

1. प्राक्कथन:

विश्वविद्यालय उद्योग अन्योन्य क्रियाओं का महत्व राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों में उच्च शिक्षा से संबद्ध नीति निर्माण विषय के मोर्चा पर एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सुस्पष्ट है कि हमारे देश आज के समय उच्च शिक्षा एवं उद्योग के प्रति, इसकी सापेक्षता के मध्य एक विषमता एवं पृथकता का तथा आपूर्ति-माँग के बेमेल का सामना कर रहा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कि लिए और अधिक कुशल कार्यबल तथा वार्षिक रूप से देश में तैयार किये जा रहे प्रबन्धकों एवं उद्यमियों और बड़ी संख्या में जरूरत है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) में से अधिकांश संसृजन कार्य स्थलों की आवश्यकताओं से लगभग असंबद्ध बने रहते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार स्नातकों को निर्मित करते समय विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को अपनी पाठ्यचर्या में, एक नवोन्मेषी एवं लचीले रूप में निगमित कर शेष रह जाता है। पहले से भी कहीं अधिक व्यापक स्तर पर इस आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के द्वारा ज्ञान उपार्जन एवं मानवीय कौशलयुक्त निपुणताओं का उन्नयन किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके—जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्नातकों के पास रोजगार पा लेने वाले अथवा उद्यमी बनने के लिए पर्याप्त ज्ञान एवं निपुणतायें हैं, तथा तदनुसार वे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर विद्यमान आर्थिक एवं औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति कर सकें। उच्च शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योगों के मध्य उपयुक्त सहभागी प्रबन्धनों के संचालन द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। उच्च शैक्षिक संस्थानों के (आउटरीय) बाहरी लोगों को साथ लेकर चलने के कार्यक्रम जिनमें विशेषज्ञता एवं ज्ञान को एकतरफा रूप से ही प्रदान किया जाता है, उस मार्ग से भिन्न जो विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के मध्य एक सहसंबंध है—इसके साथ ही पारस्परिक भावना एवं ज्ञान में भागीदारी के विचार को भी पुष्टि मिलेगी। विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के मध्य सहभागिता के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो परस्पर लाभप्रद है। विश्वविद्यालयों के संकायों में मौजूद विशेषज्ञों द्वारा उद्योगों को उनके शोध एवं विकास कार्यक्रमों में परामर्श सेवाएँ प्रदान करना तथा उद्योगों द्वारा विश्वविद्यालयों के छात्रों के व्यवस्थापन एवं उनके प्रशिक्षण आदि तथा उनके कौशल विकास तथा रोगार प्राप्ति आदि में सहायक बनाना—यह बिन्दु विचारणीय है। इस विचारणीय बात के महत्व को देखते हुये, यूजीसी इस बात पर विचार कर रही है कि विश्वविद्यालय-उद्योग पारस्परिक-सह संबद्धतः केन्द्र (यू.आइ.एल. केन्द्र) (University- Industry Inter-Linkage Centers) विश्वविद्यालयों में स्थापित किये जायें जो एक प्रभावी, लक्ष्य अभिमुखी, एवं पारस्परिक रूप से समृद्धतायुक्त तन्त्र के रूप में बन सकें।

2. योजना के उद्देश्य:

उच्च शैक्षिक संस्थानों में यू.आइ.एल. केन्द्रों को स्थापित करने की योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं:—

ए) विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ऐसे विशेषज्ञ चिन्हित करना जो उस स्थानीय/क्षेत्रीय उद्योगों के लिए परामर्श सेवायें, उनकी शोध एवं विकास संबंधी गतिविधियों के मूल्यांकन द्वारा उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं;

बी) उन उद्योगों के विशेषज्ञों द्वारा आवधिक रूप से पाठ्यचर्या में सुधार/पुनरुपांकन करना जो कि उन उद्योगों की आवश्यकतानुसार उपयुक्त है;

